

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठाधीन अधिकारी का नाम : श्री श्वेता कोवर (आर०ए०ए०एस०)

वाद सं० : 409 सन 2019

अनवान :-

1. विजयपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्यमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्यमानगढ।

2. शहीदाश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्यमानगढ।

3. ममता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्यमानगढ।

4. राजस्थान सरकार, जयपुर तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हर्यमानगढ।

राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री नरेश किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परिकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जयपुर अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आदेश का पेश किया गया की यही मौजा चक 6 बाराणी के खाला संख्या 14/573 की 0.873 हेक्टर एवं यही मौजा चक 13 जयपुरन के खाला संख्या 7/8 की कुल 1.3530 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा केशाराम पुत्र गणेशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा केशाराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा केशाराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शर्ती है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का स्थान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का एक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बतवारा कर लिया है उसके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद हिक्की किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खालेदार कायलकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद हिक्की करमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयपुर समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकठाल जावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

मौसि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से दर्ज है वादी के दादा केशाराम वन्द गणेशाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से बाद नाम से दर्ज थी अर्थात बाद मौसि पूर्व में वादी के दादा केशाराम वन्द गणेशाराम के नाम से जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 के अनुसार बाद मौसि केशाराम वन्द गणेशाराम के वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वक 13 जेएस्पेन के खाला संख्या 7/8 की कुल 1.3530हैव मौसि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अनुसार रही मौजा वक 6 बरानी के खाला संख्या 14/573 की 0.873हैव एवं रोही मौजा हमने उभयपक्षा की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के निस्तरण करमावे।

प्रकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादाबाई/पैवक सम्पत्ति का बाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सर्वाओं के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए बाद का जावे।

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का बाद हिकी करमाया 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खानेदार कायतकार आपसी सहमति /राजीनामा के सम्बन्ध में न्यायाधिक दखलान आर.बी.जे. 1998 पैज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पैज किया जा चुका है अर्थात वादी के बाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों वादी के बाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश बतवारा कर लिया है उसके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये बाद मौसि वादी संख्या 3 की वादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की मौसि का प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

हुई है जिसके कारण पैवक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का दादा केशाराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वाद मौसि जा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के बाद मौसि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

में दर्ज थी वादी के दादा केशाराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने पर बाद विरासतन से उक्त मौसि पूर्व में वादी के दादा केशाराम पुत्र गणेशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

एवं रोही मौजा वक 13 जेएस्पेन के खाला संख्या 7/8 की कुल 1.3530हैव मौसि वर्तमान हुए निवेदन किया की रोही मौजा वक 6 बरानी के खाला संख्या 14/573 की 0.873हैव वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने बाद में अधिकत तथ्यों को दोहराते नहीं करने के कारण निरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षा की बहस सुनी गई। नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा निरह प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता गया।

रखते हुए निस्तरण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सर्वाओं के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 प्रकार राज ने जबाब ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा प्रतिवादी संख्या 1 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का प्रतिवादी संख्या 1 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद मौसि वादी एवं निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की मौसि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक किया की उसके नाम से दर्ज मौसि उसके पिता केशाराम पुत्र गणेशाराम के देहान्त होने पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(नीहर) (हनुमानगढ़)

10/3/2020

सूनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 10/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसने ईजलास में
गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्वीर तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।
अपना अपना बहन करेगी। इसी आशय की पर्चा डिकी जायी की जाकर शामिल मिलने की
बैक के रदन हो तो बाद रदनमिलत राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष
ईजलास प्राधाना पत्र के सलमन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि
संख्या 7/8 की कुल 1.3530 हैव भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु
873 हैव भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा तक 13 जेएसएन के खाला
एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा तक 6 बारानी के खाला संख्या 14/573 की 0.
रोही मौजा तक 4 बारानी के खाला संख्या 14/4 की कुल 1.5180 हैव वादी के पास रहेगी
भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है से से
की 0.873 हैव एवं रोही मौजा तक 13 जेएसएन के खाला संख्या 7/8 की कुल 1.3530 हैव
किया जाकर धीषणा की जाती है कि रोही मौजा तक 4 बारानी के खाला संख्या 14/573
साक्ष्य सर्जत एवं न्यायाधिक दस्तावेजों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिकी
करने एवं पेशेकार राज को किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत
अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार
के कारण राजस्व रिकार्ड में संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने
सर्जत एवं न्यायाधिक दस्तावेजों को प्रकरण पर चर्या होने है के आधार पर बाद वादी साबित
वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
जा तस्वीरक किया जाकर शामिल मिलने किया जा चुका है।
प्रकार का ऐजराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है
बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी
इसलिये बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके
हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है
उपस्थित होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक
की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं न्यायालय में
वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा
में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।
अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात बाद भूमि
उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पूर्वक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है
भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पूर्वक सम्पत्ति होने साबित है। हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हर्जमानगढ)

की गई।

पर्वी डिक्री आज दिनांक 30/3/2022 को भरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी
में अंकन किया जावे वय बाद उभयपक्ष अपना अपना बहिन करने।
तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमूल्य राजस्व रिकार्ड
राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इंजियर प्रार्थना पत्र के सलन 5000/- रु स्टाम्प
वक 13 जेएसएन के खाला संख्या 7/8 की कुल 1.3530हेव भूमि रहेगी इसी अनुसार
खाला संख्या 14/573 की 0.873हेव भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा
5180हेव वादी के पास रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा वक 6 बायानी के
के नाम से दर्ज है में से रोही मौजा वक 4 बायानी के खाला संख्या 14/4 की कुल 1.
7/8 की कुल 1.3530हेव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1
के खाला संख्या 14/573 की 0.873हेव एवं रोही मौजा वक 13 जेएसएन के खाला संख्या
कारण बाद वादी डिक्री किया जाकर शोषणा की जाती है कि रोही मौजा वक 4 बायानी
पर बाद वादी साक्ष्य सर्तुती एवं प्रतिवादीमप की सहमति के आधार पर साहित होने के
अधिवक्ता वादी एवं प्रेकारर राज की उपस्थिति में अंतिम निपटरे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने
आज यह बाद मुद्रा खाला कारर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष
राजस्व बाद संख्या 409 सन 2019 निर्णय दिनांक-20/03/2022
बाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काररतकरी अधिनियम 1955
प्रतिवादीमप

1. आमप्रकाश पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्जमानगढ।
2. सहितारा पुत्र आमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्जमानगढ।
3. ममता पुत्री आमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हर्जमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जायि तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हर्जमानगढ।

बनाम

वादी

हर्जमानगढ।

1. विजयपाल पुत्र आमप्रकाश जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला

अमान :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

(आईर 20, कल 6-7 जाला दिवानी)

पर्वी डिक्री